The comparative figures of *per capita* Plan outlays for all the States and Union Territories taken together, with those for the Union Territory of Tripura are indicated below and will show that in the last two Plan periods, Tripura had an appreciably larger *per capita* Plan allocation than the all-India average :

	All States and Union Territories taken together	Tripura
First Plan	40	25
Second Plan	54	82
Third Plan	100	146

चौथी पंचवर्षीय योजना में पनडुब्बियों, विमान वाहक जहाजों तथा युद्धपोतों का निर्माण

3189. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या प्रति-रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौ सेना के विकास के मामले में गतिरोध पैदा हो गया है और चौथी योजना की अवधि में भी देश में पनडुब्बियों, विमान वाहक जहाजों तथा युद्धपोतों का निर्माण सम्भव नहीं हो सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). नौसेना के विकास में कोई गतिरोध पैदा नहीं हुआ है।

देश में फ्लीट टग के अतिरिक्त जिन युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है उनमें फ्रिगेट, माइनस्वीपर, सीवर्ड, डिफेन्स वोट तथा लैंडिंग क्राफ्ट शामिल हैं।

Demarcation of Boundries on Tripura-East Pakistan Borders

3190. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 10139 on the 8th May, 1968 and state :

(a) whether any area on Tripura-East Pakistan borders which still remain to be demarcated is under dispute between India and Pakistan ;

(b) if so, which ones and the steps being taken to resolve the dispute ;

(c) the further progress made in the demarcation of the boundary between Tripura and East Pakistan so far and the precise length and particulars of the boundary which still remain to be demarcated ; and

(d) the further steps which are to be taken in that direction and by what time the demarcation work is likely to be completed ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) and (b). At present the known disputes are :

(i) The boundary along the River Fenny ; and its upper reaches ;

(ii) the determination of the land appurtenant to the railway line at Bhagalpur which, it was agreed between the Prime Ministers of India and Pakistan in September 1958, would be given in perpetual right to Pakistan ;

(iii) a small area in the villages of Sibpur and Gaurangala:

It is hoped that as many of these disputes as possible will be settled in the course of demarcation. In regard to others, especially item (i), the Pakistani side has been requested to furnish certain records in accordance with the decisions reached between the Prime Ministers of India and Pakistan in October, 1959.

(c) The total length of the Tripura-East Pakistan boundary is approximately 536 miles divided into three sectors. Out of this, boundary pillars have been erected

over a length of 227 miles. The sector-wise details regarding the boundary still remaining to be demarcated are as under :—

	*Approx. length of boundary	Length over which boundary pillars have been erected
(i) Tripura-Sylhet	188 milles	41 miles
(ii) Tripura-Comilla-Noakhali	206 miles	186 miles
(iii) Tripura-Chittagong/ Chittagong Hill Tracts	156 miles	Not yet started

(d) The Directors of Land Records of the two sides are meeting periodically to expedite the work as far as possible.

इन्दौर जिले में भूतपूर्व सैनिकों के लिए भूमि

3191. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर डिवीजन (मध्य प्रदेश) में राज्य गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत भूततूर्व सैनिकों को भूमि का नियतन करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समय इस मामले की स्थिति क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) तथा (ख). मध्य प्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है। सूचना के उपलब्ध होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

उर्दू तथा हिन्दी समाचार पत्रों को दिए गये विज्ञापन

3192. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाले उन उर्दू दैनिक तथा सप्ताहिक पत्रों के नाम क्या हैं, जो सरकार की अनुमोदित सूची में शामिल हैं तथा उनमें से प्रत्येक को प्रतिमास कितने-कितने मूल्य के विज्ञापन दिये जाते हैं; और

(ख) सरकार की अनुमोदित सूची में शामिल हिन्दी दैनिक तथा सप्ताहिक पत्रों की संख्या कितनी है तथा उनमें से प्रत्येक को विज्ञापनों से प्रतिमास कितनी आय होती है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय उन सब समाचार पत्रों का आवश्यक विवरण रखता है जो सरकारी विज्ञापन मांगते हैं। यह सूचना विशिष्ट विज्ञापनों को रिलीज करने के लिये समाचारपत्रों के चयन के लिये इस्तेमाल की जाती है।

मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाले निम्नलिखित हिन्दी तथा उर्दू दैनिक तथा सप्ताहिकों को 1967-68 में सरकारी विज्ञापन दिये गये :-

	हिन्दी	उर्दू
दैनिक	25	2
सप्ताहिक	7	

अलग-अलग समाचारपत्रों को रिलीज किये गये विज्ञापनों का विवरण और उनको कितना धन दिया गया, यह सूचना विज्ञापन और दृश्य

*The precise length of the sector would be known only after the demarcation has been completed.